No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/541
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
B-15, Garden Estate, IPSA, Shahjahanpur-242001
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांकः 22.10.2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद–पीलीभीत।

विषयः–जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 731K (रढ़ैता–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि पर बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1360/15–1, पीलीभीत दिनांक 21.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पत्रांक 114–1, पीलीभीत दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त मार्ग में 26427 बाधक वृक्ष सड़क की दोनों पटरियों पर आ रहे है जो एक बहुत बड़ी संख्या है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से वार्ता कर सड़क के तरफ की चौड़ाई को बढ़ाने का प्रस्ताव करें जिससे कि एक तरफ के बाधक वृक्षों का ही पतान होगा तथा दूसरी तरफ के वृक्ष सुरक्षित रहेंगें तथा सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण होने की स्थिति में सड़क वृक्ष विहीन हो जायेगी। इस सम्बन्ध में उक्त पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का आग्रह किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 731K के रढ़ैता–पीलीभीत खण्ड (कि.मी. 137.250 से कि.मी. 183.380) के पुर्नरूद्धार एवं उन्नयीकरण का कार्य हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना (Green National Highway Corridor Projects) के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा अप्रैल, 2020 में स्वीकृत किया गया है।

3. यह भी अवगत कराना है कि उक्त परियोजना, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक है। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में संवेदक के चयन हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने के उपरान्त निविदा प्राप्त भी की जा चुकी है। परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु संरक्षित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति वन विभाग द्वारा शीघ्र प्राप्त की जानी है जिससे परियोजना को अविलम्ब प्रारम्भ किया जा सके।

3. जैसा कि आप अवगत है कि जनपद पीलीभीत (बीसलपुर पीलीभीत खण्ड) के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 पर बाधक वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त करने के लिए आनलाईन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49621/2020) दिनांक 12.09.2020 को https://parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया था।

4. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के संरेखण में प्रभावित वृक्षों की गणना पूर्व में वन विभाग द्वारा किया गया था जिसे प्रभागीय वनाधिकारी पीलीभीत द्वारा पुनः निरीक्षण किये जाने का आग्रह किया गया था जिससे न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जाये। इस सम्बन्ध में वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय के प्रतिनिधि के सहयोग से बाधक वृक्षों का पुनः निरीक्षण किया गया। प्रभावित वृक्षों की संख्या गणना के अनुसार कुल 26427 वृक्ष/पौधें है जिसमें 6305 प्राकृतिक रूप से पनपे पौधे (Natural Plants) तथा 3770 रोपित पौधे (Plants) भी सम्मिलित है इसके अतिरिक्त व्यास श्रेणी 0–10 के अन्तर्गत 2428 वृक्ष, व्यास श्रेणी 10–20 के अन्तर्गत 7856 वृक्ष अर्थात कुल 20359 वृक्ष जिसकी मोटाई (Girth) अत्यन्त कम है। अतएव कुल प्रभावित 26427 में केवल 6068 वृक्ष ऐसे है जो व्यास श्रेणी 20 या उससे अधिक के है।

क्रमशः.....2/–

Scanned with CamScanner

5. अवगत कराना है कि परियोजना के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। सामान्यतः सड़क के दोनों तरफ स्थित 4 पंक्ति के वृक्षों के सापेक्ष यथा आवश्यक अधिकांशतः अग्रिम दो पंक्तियों के बाधक वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित है। अतएव यह कथन कि दोनों तरफ चौड़ीकरण होने की स्थिति में सड़क वृक्ष विहीन हो जायेगी सही नहीं है।

6. उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित सड़क संरेखण, वर्तमान वस्तुस्थिति का निरीक्षण किये जाने एवं तकनीकी अध्ययन/मानकों के अनुरूप सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, तथा आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः इस स्तर पर प्रस्तावित सड़क संरेखण को परिवर्तित/संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है। सड़क के संरेखण को एक तरफ किये जाने से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी जिससे निजी कृषि योग्य भूमि प्रभावित होने के साथ–साथ प्रभावित काश्तकारों के पुनर्वास एवं आय के स्रोत पर भी असर पड़ेगा इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण में भी अधिक समय लगेगा तथा भविष्य में विश्व बैंक द्वारा सड़क परियोजनाओं हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने में कठिनाईयां आयेंगी।

7. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे सादर आग्रह है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020,में स्तर–I (Stage-I) अनुमति शीघ्र प्राप्त कर सड़क निर्माण/चौड़ीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके।

भवदीय

(आशीष शुक्ला)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ–226022
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता (EAP Zone), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन, नं0–1 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
4. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली– **आपके कार्यालय पत्र दिनांक 21.10.2021 के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

(आशीष शुक्ला)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर

Scanned with CamScanner